न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 29 / 2019 / अपील / एलआरएक्ट / बांरा
तारीख दायराः 6.3.2019
अन्तर्गत धाराः 75 एल.आर.एक्ट

उनवान

1 सुरेन्द्रसिंह
2 भारतसिंह
3 बहादुरसिंह
4 लक्ष्मणसिंह
5 महेन्द्रसिंह
पिसरान रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासीगण मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0।

...अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बांरा–राज0।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 10.7.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 32 / 2009 प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान सुरेन्द्रसिंह वगेरा बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल मे पारित निर्णय दिनांक 5.7.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का प्रस्तुत कर अपीलांट के पिता स्व0 रघुवीरसिंह के खातेदारी की आराजी ग्राम रायथल ख0 नं0 1467 रकबा 28 बीघा 19 बिस्वा, ख0 नं0 1468 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा ख0 नं0 1466 रकबा 5 बिस्वा कुल 3 किता ी 32 बीघा 5 बिस्वा के सेटलमेट के पश्चात ख0 नं0 1467 रकबा 28 बीघा 19 बिस्वा के नये ख0 नं0 1842 रकबा 3.30 है0 दर्ज किये जो गत रकबे 28 बीघा 19 बिस्वा के मुकाबले 8 बीघा 9 बिस्वा कम दर्ज किये गये इसी प्रकार ख0 नं0 1468 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा के नये ख0 नं0 1843 / 2008 रकबा 0.35 है0 दर्ज किया गया जो गत के मुकाबले 1 बीघा कम दर्ज किया गया इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि मे 9 बीघा 9 बिस्वा भूमि कम दर्ज करने से इन्द्राज दुरूस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रार्थी / अपीलांट की सहमति व जानकारी के राजस्व लोक अदालत केम्प रायथल मे निर्णय दिनांक 5.7. 2016 से खारिज कर दिया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी होने से नकल प्राप्त कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम बावत डिले कन्डोन किये जाने के साथ अपीलांट द्वारा जेरअपील निर्णय के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश विधि एवं न्याय संचिका मे उपलब्ध सिद्धान्तो के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। राजस्व लोक अदालत की मूल भावना के विपरीत है क्योंकि उक्त केम्प मे ना तो अपीलांट को ओर ना ही अपीलांट के अधिवक्ता को सुना गया तथा ना ही आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअदांज कर दिया कि अपीलांट के पिता के खाते मे 3.65 है0 भूमि थी जिसमे से 1.51 है0 भूमि कम करदी गई अपीलांट द्वारा अपने खाते की शेष बची भूमि का बेचान कर भी दिया तब भी वह शेष बची भूमि रकबा 1.51 है0 को प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि सम्पूर्ण 1.51 है0 भूमि केचमेंट मे अधिग्रहित नही हुई थी। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केचमेंट की जमाबंदी तथा केचमेंट से संबधित अन्य दस्तावेज पेश करता उसके पूर्व ही आदेश जेरअपील अपीलांट को बिना सुने व नोटिस दिये लोक अदालत केम्प मे पारित कर दिया जो काबिल निरस्तनीय है। यह कि जहां विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न हो वहा सुस्थापित सिद्धान्त है कि उस तथ्य व विधि के प्रश्न का निर्धारण किये बिना कोई आदेश पारित नही किया जा सकता जबकि अधी0 न्याया0 ने ऐसा न कर आरबिट्रेटरी तौर पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया अतः

जेरअपील निर्णय काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश दि. 5.7.2016 अपास्त किया जावे। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय का इस निर्देश के साथ रिमांड किया जावे कि अपीलांट को केचमेंट की जमाबंदी व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र को घोषणात्मक दावे मे तब्दील करते हुये पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अपीलांट के पिता के खाते मे दर्ज गत भूमि के मुकाबले 1.51 है0 रकबा कम दर्ज किया गया जिसे दुरूस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता को बिना सुने ही राजस्व लोक अदालत केम्प रायथल मे प्रकरण को रख कर जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जो जो विधि मे निहित प्रावधानो के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस मे यह भी प्रकट किया कि जहां विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न हो वहां सुस्थापित सिद्धांत है कि उस तथ्य व विधि के प्रश्न का निर्धारण किये बिना कोई आदेश पारित नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने कमी रकबा केचमेंट मे जाना बतायाहै मे रिकार्ड पेश करता किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई नोटिस व सूचना दिये तथा अपीलाट को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट रिकार्ड पेश करना चाहता है अतः अपीलांट को केचमेंट की जमाबंदी व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र को घोषणात्मक दावे मे तब्दील करते हुये पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किय जाने हेतु रिमांड किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा जेरअपील निर्णय दि0 5.7.2016 का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत अपील प्रकरण प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम बावत जेरअपील निर्णय की जानकारी उसके अधिवक्ता द्वारा बताये जाने पर निर्णय की नकल प्राप्त कर अपील पेश करना वर्णित करते हुये डिले कन्डोन किये जाने के अनुरोध के साथ पेश की है प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख मौजूद नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 10.6.2016 के अवलोकन से प्रकट होता है कि पत्रावली तहसीलदार मांगरोल से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी जाने मे जेरकार रहते हुये आगामी तारीख पेश दिनांक 5.7.2016 नियत की गई थी। दिनांक 5.7.2016 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण राजस्व लोक अदालत शिविर रायथल मे रख कर प्रकरण मे जेरअपील निर्णय पारित किया गया है। आदेशिका मे अपीलांट की उपस्थिति/अनुपस्थिति बावत कोई तथ्य अंकित नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसे कोई दस्तावेज नोटिस/सूचना पत्र उपलब्ध नही है जिससे पत्रावली को राजस्व लोक अदालत केम्प रायथल मे रखने बावत अपीलांट को सूचित किया जाना प्रकट होता हो। जबकि लोक अदालत की मूल भावना के तहत राजस्व लोक अदालत मे प्रकरण का निस्तारण पक्षकारान की आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर विधि अनुसार किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवेचित तथ्यों की अनदेखी कर जेरअपील पारित किया जाना प्रकट होता है जिसे विधिसम्मत नही ठहराया जा सकता तथा अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 5.7.2016 विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमांड/प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 10.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा